भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1207

उत्तर देने की तारीख : 09.02.2023

विनिर्माण एवं निर्यात में एमएसएमई का योगदान

1207. श्री कमलेश पासवान:
श्री एस. वेंकटेशन:
श्री बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कुल विनिर्माण उत्पादन में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का चालीस प्रतिशत योगदान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को उनके विकास के लिए अति-आधुनिक प्रौद्योगिकी, अपेक्षित निवेश और तकनीक प्रदान करने के लिए कोई कदम उठा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत के निर्यात में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का चालीस प्रतिशत योगदान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार निर्यात में उक्त अंशदान को और बढ़ाने के लिए कोई विशेष प्रयास कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) : सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से प्राप्त अद्यतन सूचना के अनुसार वर्ष 2020-21 के दौरान अखिल भारतीय विनिर्माण उत्पादन में एमएसएमई के विनिर्माण उत्पादन की हिस्सेदारी लगभग 36 प्रतिशत थी।

(ख) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय ने प्रौद्योगिकी केन्द्रों (टीसी) की स्थापना की है जो सामान्य अभियांत्रिकी, फोर्जिंग और फाउंड्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सुगंध और सुरस, कांच, फुटवियर और खेलकूद के सामानों जैसे क्षेत्रों में टूल्स, प्रिसीजन घटकों, मोल्ड्स, डाईज आदि के डिजाइन और विनिर्माण के जरिए उद्योगों को प्रौद्योगिकीय सहायता प्रदान करते हैं। यह मंत्रालय एमएसएमई क्षेत्र में नवीनतम प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए निवेश उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन भी करता है। इन स्कीमों/कार्यक्रमों में अन्य के साथ-साथ वित्तीय सहायता भी शामिल है। इनमें एमएसएमई चैम्पियन्स स्कीम, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई), प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) तथा सूक्ष्म और लघु उद्यम - क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) जैसी कुछ स्कीमें भी शामिल हैं।

(ग) : वाणिज्यिक जानकारी और सांख्यिकी निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2021-22 के दौरान अखिल भारतीय निर्यात में एमएसएमई से संबंधित निर्दिष्ट उत्पादों के निर्यात की हिस्सेदारी 45.03 प्रतिशत थी।

(घ) : भारतीय निर्यात में एमएसएमई के योगदान को बढ़ाने तथा उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करने के लिए भारत सरकार ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम, व्यवसाय करने की सुगमता का संवर्धन, मुद्रा के जरिए क्रेडिट की बेहतर उपलब्धता, स्टैंड-अप इंडिया नामक कई पहलें की हैं। इसके अतिरिक्त एमएसएमई मंत्रालय ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को अपेक्षित मेंटरिंग तथा हैंडहोल्डिंग सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से देशभर में 52 निर्यात सुविधा केन्द्रों (ईएफसी) की स्थापना की है। इसके अलावा, एमएसएमई को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने तथा वैश्विक बाजारों में उनके विकास को गति प्रदान करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय विभिन्न स्कीमों नामत: अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) स्कीम, एमएसएमई चैम्पियन्स स्कीम तथा सूक्ष्म और लघु उद्यम - क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) के जरिए सहायता प्रदान कर रहा है।

सभी क्षेत्रों में एमएसएमई की सभी व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने तथा वैश्विक बाजार में एमएसएमई को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए उन्हें अगली पीढ़ी की सेवाएं प्रदान करने हेतु एकल स्थल डिजिटल समाधान के रूप में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) द्वारा एक व्यापक बी2बी पोर्टल 'MSMEmart.com' का संचालन किया जा रहा है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) बी2सी पहुंच के लिए 'ekhadiindia.com' नामक एक ई-वाणिज्य पोर्टल का भी कार्यान्वयन कर रहा है जो व्यवसायों को वैश्विक पहुंच के लिए सक्षम बनाता है। इसके अतिरिक्त, कॅयर बोर्ड निर्यात संबंधी मामलों पर कार्यशालाओं/प्रबंधन विकास कार्यक्रमों का आयोजन करता है ताकि कॅयर उद्यमियों को वैश्विक बाजार में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और उन्हें प्रत्येक वर्ष कॅयर उद्योग पुरस्कार प्रदान करके उत्साहित किया जा सके।

एमएसएमई मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है जिसके अंतर्गत केन्द्र/राज्य सरकार के पात्र संगठनों तथा उद्योग संघों को प्रतिपूर्ति आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि वित्तीय उन्नयन, आधुनिकीकरण, संयुक्त उपक्रम आदि के उद्देश्य से विदेशों में आयोजित की जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/मेलों/क्रेता-विक्रेता सम्मेलनों तथा भारत में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/सेमिनार/कार्यशालाओं के आयोजन के लिए एमएसएमई के दौरे/उनकी सहभागिता को सुविधाजनक बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त, जून, 2022 में शुरू किए गए आईसी स्कीम के नए घटक नामत: प्रथम बारकगी निर्यातकों का क्षमता निर्माण (सीबीएफटीई) के अंतर्गत ईपीसी के साथ पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाण पत्र (आरसीएमसी), निर्यात बीमा प्रीमियम, निर्यात के लिए परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन पर किए गए व्यय हेतु नए सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) निर्यातकों को प्रतिपूर्ति राशि प्रदान की जाती है। आईसी स्कीम के अंतर्गत ये इंटरवेंशन एमएसएमई क्षेत्र में निर्यातकों को सहायता प्रदान करते हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उनकी पहुंच बढ़ाई जा सके।

*****